न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 32/2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
देवराज पुत्र गंगाविशन जाति ब्राह्मण निवासी जायल जिला नागौर के उत्तराधिकारीगण – 1बजरंगलाल पुत्र देवराज 2नवरतन पुत्र देवराज 3धनराज पुत्र देवराज 4प्रदीप पुत्र देवराज 5भवानीशंकर पुत्र देवराज जातियान ब्राह्मण निवासीगण जायल तहसील जायल।		1 तहसीलदार जायल। 2 मु. मैनादेवी पत्नी श्रवण कुमार ब्राह्मण निवासी पदमपुरा तहसील नावां हाल निवासी चौथी मंजिल, ओमकारा अपार्टमेंट ब्रह्माकुमारी आश्रम के पास, हेदरपाडा सिलीगुडी पश्चिम बंगाल। 3 मु. लीलादेवी पत्नी करणी प्रसाद ब्राह्मण निवासी भुलोडिया स्कूल के पास, लाडनूं जिला नागौर। 4 मु. संतोष पत्नी महेन्द्र कुमार ब्राह्मण निवासी धनकोली हाउस कुचामन शहर जिला नागौर। 5 मु. रजनी पत्नी सुरेन्द्र कुमार ब्राह्मण निवासी लाडनू हाल निवासी विवेक ऑटो मोबाईल्स प्रा.लि. जीतपूर, सिमारा, बारां वीरगंज, नेपाल 6 मु. भंवरी देवी बेवा देवराज जाति ब्राह्मण निवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास खिंयाला रोड, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री रमेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.09.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 191/2018 सरकार बनाम देवराज में निर्णय दिनांक 11.09.2018 के तहत मौजा जायल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 17.08.2020 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 03 की ओर से श्री रमेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या 04 से 06 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 191/2018 के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति व निर्णय दिनांक 11.09.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि तहसीलदार जायल ने अपीलांट्स के पिता श्री देवराज के विरूद्व कार्यवाही अधीन धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत करके उनके विरूद्व मौजा जायल के खसरा नम्बर 1055 रकबा 01 बिस्वा भूमि ओरण पर अतिक्रमण मान कर बेदखली का आदेश पत्रावली संख्या 191/2018 में दिनांक 11.09.2018 को पारित किया व जुर्माना राशि 2.00 रूपये लगाये। इस आदेश की जानकारी अपीलांटान व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 को नहीं थी। इस आदेश की जानकारी अपीलांटान को या उनके पिता देवराज को नहीं थी। दिनांक 11.09.2018 के पहले से श्री देवराज बीमार थे व चल फिर नहीं सकते थे। उनका देहान्त दिनांक 09.04.2019 को हो गया था। अपीलांटान को इस आदेश के बारे में पटवारी हल्का के द्वारा प्रदीप अपीलांट को दिनांक 10.08.2020 को बताने पर हुई। तब दूसरे ही दिन अपीलांट प्रदीप ने इस आदेश के बारे में जानकारी तहसील कार्यालय में की तब पता चला इसलिए दूसरे ही दिन दिनांक 13.08.2020 को नकल के लिए आवेदन किया और यह नकल अपीलांट प्रदीप को दिनांक 13.08.2020 को

23/5/24

अपर कलक्टर, नागौर

मिली, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है जो काबिल निरस्त करने के है।

{2}(II)– आदेश जैर अपील करने से पूर्व अपीलांटान के पिता श्री देवराज को कोई नोटिस नहीं दिया, जिन दिनों का यह आदेश है उन दिनों में देवराज वृद्व व बीमारे थे तथा चलने फिरने की हालात में ही नहीं थे तथा बाद में उनका देहान्त भी इसी बीमारी से हो गया। इसलिए अपीलांट्स के पिता को कोई जवाब या सबूत पेश नहीं कर सके, इसलिए आदेश गलत है।

{2}(III)– तहसीलदार स्वयं मौका मुआयना करके वहां की स्थिति स्वयं देखते व उस पर गौर करते व नाप चोप स्वयं करते या पटवारी हल्का से या अन्य किसी राजस्व कर्मचारी से करवाते व पटवारी की रिपोर्ट की सच्चाई के बारे में जांच करते व बाद में निर्णय करते तो सही स्थिति सामने आती। मगर तहसीलदार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया व केवल पटवारी की शुरूआती रिपोर्ट के आधार पर ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो आदेश पारित किया है जो गलत है। केवल 01 बिस्वा का अतिक्रमण बताया है जो सही तरीके से व बहुत बारीकी से नाप किये बिना पता नहीं चल सकता तथा ऐसे मामलों में नाप करके नाप रिपोर्ट पत्रावली पर रखनी चाहिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ कोई नाप रिपोर्ट नहीं है सो किस आधार पर मातहत तहसीलदार ने 01 बिस्वा पर अतिक्रमण अपीलांटान द्वारा करना माना है यह मानने योग्य तथ्य नहीं है सो आदेश बिना आधार ही माना जायेगा। जो काबिल निरस्त करने योग्य के है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स के पिता द्वारा मौजा जायल में स्थित गै. मु. ओरण पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स के पिता को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के पिता को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 191/2018 सरकार बनाम देवराज में निर्णय दिनांक 11.09.2018 के तहत मौजा जायल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 के अनुसार मौजा जायल की भूमि पर अपीलांट्स के पिता द्वारा गै.मु. औरण भूमि पर रकबा 0.01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में रकबा 0.01 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होने का अंकन किया है, जो दोनों एक–दूसरे से भिन्न है। अधीनस्थ ट्रायल न्यायालय का यह दायित्व था कि वह पक्षकारों की समुचित सुनवाई कर विवाद के बिन्दु पर विवेचनात्मक निर्णय पारित करते। पटवारी की मौका रिपोर्ट अपीलांट्स के पिता की अनुपस्थिति मे तैयार की जाना प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता को शहादत, सबूत से अनदेखा कर आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट्स के पिता की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जायल द्वारा मौजा जायल के प्रकरण संख्या 191/2018 निर्णय दिनांक 11.09.2018 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को को निर्देशित किया जाता है कि नाप चोप हेतु एक टीम गठित की जाकर मौके पर आराजी भूमि की पैमाईश मुस्तकिल पाईन्ट निर्धारित कर पूर्व सूचना देकर अपीलांट्स की मौजूदगी मे करवायी जावे तथा अपीलांट्स को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय आज दिनांक 23.09.24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

23/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान